पत्र सं0–वैट–परिपत्र भाग–2–(2009–2010)1206 / 0910059 / वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(वैट अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: अक्टूबर 26 ,2009

समस्त एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड–1,वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ।

व्यापारियों द्वारा पंजीयन प्रार्थनापत्र देने पर विभिन्न कार्यवाहियों जैसे बयान लिये जाने, व्यापारस्थल की स्थानीय जॉच तथा व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों के सत्यापन में लगने वाले समय के कारण पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने में काफी विलम्ब हो रहा है । इस विलम्ब के कारण व्यापारियों को व्यापार करने में असुविधा का सामना करना पडता है, जिसका प्रभाव राजस्व संग्रह पर भी पडता है । इस विलम्ब को समाप्त करके तत्काल पंजीयन प्रमाणपत्र, प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के ही दिन प्रदान करने व पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की यह व्यवस्था दिनांक 04.11.08 से प्रभावी होने के निर्देश मुख्यालय के परिपत्र सं0–वैट परिपत्र भाग–2(08–09)–289(कैम्प) / 0809076 / वाणिज्य कर दिनांक 01.11.08 द्वारा निर्देश दिए गए थे।

शासन स्तर पर आहूत की गयी राज्य कर परिषद की बैठक दिनाक 05.10.09 में लिए गए निर्णयानुसार पंजीयन में हो रही विलम्बित जॉच को देखते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि पंजीयन प्राधिकारी पंजीयन प्रमाण पत्र निर्गत करने के उपरान्त तत्काल सभी डाक्यूमेन्ट्स संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित करेंगे व कर निर्धारण अधिकारी अधिकतम एक माह में (संवेदनशील वस्तुओं के व्यापार के मामलें में अधिकतम एक सप्ताह के भीतर) व्यापार स्थल जॉच आदि की अन्य कार्यवाहियॅा पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। पूर्व में जारी परिपत्र स0–0809076 दिनांक 01.11.08 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

ह0.

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक – उक्त।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. श्री एस0सी0द्विवेदी / श्री यू0सी0दीक्षित, संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अध्यक्ष / निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0।
4. समस्त एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5. अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
6. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) / (वि0अनु0शा0) / (अपील) / कॉरपोरेट सर्किल / ऑयल सेक्टर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. ज्वाइन्ट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
9. ज्वाइन्ट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर, उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, इलाहाबाद / लखनऊ।
10. मैनुअल अनुभाग / सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5–5 तथा 10 प्रतियां।
11. विधि अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को 25 प्रतियां।
12. समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

ह0.

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।